उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या-**14/2024/**891/94-स्टा0नि0-2-2024-700(43)/2024
लखनऊ, दिनांक **30 जुलाई, 2024**

अधिसूचना
आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा-78-क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल लखीमपुरखीरी हवाई अड्डा के विस्तारीकरण के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची के स्तम्भ-दो में यथाउल्लिखित जिला लखीमपुर खीरी में अवस्थित 3 ग्रामों की भूमि तथा सरकारी भूमि को उक्त अनुसूची के स्तम्भ-तीन में यथाउल्लिखित क्षेत्रफल की सीमा तक क्रय किये जाने की लिखत पर संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस रुपये 2,60,29,456/- (रुपये दो करोड़ साठ लाख उन्तीस हजार चार सौ छप्पन मात्र) से छूट प्रदान करते हैं-

अनुसूची

क्रम संख्या	**ग्राम/भूमि का नाम**	**क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**
एक	**दो**	**तीन**
1-	1- ग्राम गजरौरा	181.1005 हेक्टेयर
2-	2- ग्राम मुजहा	20.0190 हेक्टेयर
3-	3- ग्राम फुलवरिया	26.0290 हेक्टेयर
4-	4- सरकारी भूमि	38.0492 हेक्टेयर
	योग	**265.1977** हेक्टेयर

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या-14/2024/891(1)/94-स्टा0नि0-2-2024, तददिनांक।

हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस **दिनांक 30 जुलाई, 2024** के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अन्द्रा वामसी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-14/2024/891(2)/94-स्टा0नि0-2-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार महालेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. **14/2024/**891/94-S.R.-2-2024-700(43)/2024, **Dated. 30 July, 2024**

Notification
Order

No. **14/2024/**891/94-S.R.-2-2024-700(43)/2024
Lucknow, Dated : **30 July, 2024**

In exercise of the powers under sections 78-A of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) Hon'ble Governor, under this notification, is pleased to remit the registration fees Rs 2,60,29,456/- (Rupees two crore sixty lakh twenty nine thousand four hundred fifty six only) payable on the instrument of purchasing the land at the 3 villages & government Land situated in District Lakhimpur Kheri mentioned in column-1 to the extent of the area as mentioned in column-2 of the schedule below, for the purpose of expansion of the Lakhimpur Kheri Airport-

column-1	column-2
1- Village-Gajraura	181.1005 hectares
2- Village Mujaha	20.0190 hectares
3- Village Fulwariya	26.0290 hectares
4- Government Land	38.0492 hectares
Total	**265.1977 hectares**

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।